न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—263/2011/223 (2011/00027)

1. अमरा पुत्र लादू, जाति जाट, निवासी ग्राम सूरजपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती उगमी पुत्री स्व0 मु0 फूमली पत्नी छीतर (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— नंदू पतिन श्योजी पुत्री उगमी, जाति जाट,
   1/2— अमरी पत्नि हरजी पुत्री उगमी, जाति जाट,
   निवासी ग्राम गुंदली, तह0 अराई, जिला अजमेर ।
   1/3— झमरी पत्नि रंगलाल पुत्री उगमी, जाति जाट, निवासी ग्राम सांदोलिया, तह0 अराई, जिला अजमेर ।
   1/4— दुर्गादेवी पत्नि देवकरण पुत्री उगमी, जाति जाट, निवासी ग्राम सूरजपुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
   1/5— उमराव पुत्र उगमी, जाति जाट, नि0 ग्राम सूरजपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
   1/6— बसराज पुत्र उगमी जाति जाट, नि0 ग्राम आकोडिया, तह0 अराई, जिला अजमेर ।
2. कल्ला मुतबन्ना स्व0 छीतर,
3. लक्ष्मण पुत्र स्व0 केसू पौत्र स्व0 रामचन्द्र,
4. श्रवण पुत्र स्व0 केसू पौत्र स्व0 रामचन्द्र,
5. हरीराम पुत्र केसू पौत्र स्व0 रामचन्द्र,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सूरजपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस/वादीगण

6. रामरतन पुत्र स्व0 लादू,
7. श्रीमती नौसर पुत्री स्व0 मादू,
   जाति जाट, नि0 ग्राम सूरजपुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस/प्रति0संख्या 2 व 3

8. श्रीमती गोकली पुत्री केसू, जाति जाट, निवासी ग्राम पाण्डरवाडा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 6

9. उप पंजीयन अधिकारी, कार्यालय उप पंजीयन अधिकारी, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 6.7.2011 अंतर्गत वाद संख्या 92/2009.

उपस्थितः—

1. श्री सीतराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री नौरतमल जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 4 .
3. रेस्पो0 संख्या 5 अनुपस्थित ।
4. श्री प्रमोद शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 8.
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 9 व 10.

निर्णय

दिनांकः— 24.10.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद विरूद्ध अपीलांट व अन्य रेस्पो0 के अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सूरजपुरा के चौसाला खसरा नंबर 845, 39/2, 330, 331, 332, 339, 340, 341, 334 व 432/2 वर्किंग खसरा नंबर 906, 55, 420, 503 व 504 की आराजियात चौसाला जमाबंदी में फूमली पत्नी छीतर 1 हिस्सा, रामचंन्द्र पुत्र हरदेव 1 हिस्सा व लादू, मादू पि0 सुक्खा हिस्सा बराबर 1 दर्ज था । फूमली पत्नी छीतर के वारिस वादी संख्या 1 व 2 है । रामचंद्र पुत्र हरदेव के वारिस वादी संख्या 3 से 5 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 है । लादू व मादू पि0 सुक्खा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है । इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात पर चौसाला जमाबंदी के अंकन अनुसार हक व हिस्सा निहित है । किन्तु वर्किंग राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई है एवं वादीगण का नाम हटा दिया गया है जबकि वादीगण अथवा उनके पूर्वजों ने उक्त आराजियात का कभी भी विक्रय, बैचान नहीं किया है । अतः वादग्रस्त आराजियात पर चौसाला जमाबंदी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से दर्ज किये जावे, वादीगण को उक्त आराजी का खातेदारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.7.2011 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का वाद स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वादपत्र में तनकियात कायम की एवं वादीगण तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेखबद्ध की गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड एवं पूर्व वाद में प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार आदि समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2025 से

2028 का भी संपूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया एवं चौसाला जमाबंदी में दर्ज रकबों एवं वर्तमान आधार जमाबंदी मे ंदर्ज रकबा का मिलान नहीं होने के बावजूद वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । वादपत्र में वर्णित खसरा नंबर 330 के आधार जमाबंदी में वर्णित हाल खसरा नंबर 1113 का रकबा 0.20 है0 वर्णित किया गया है जबकि चौसाला जमाबंदी के खसरा नंबर 330 का रकबा मात्र 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी ही है । इसी प्रकार चौसाला खसरा नंबर 331 का रकबा 00–11–10 है एवं आधार जमाबंदी में वर्णित हाल खसरा नंबर 963 का रकबा 0.16 है0 तथा चौसाला जमाबंदी में वर्णित खसरा नंबर 332 का रकबा 0–2–10 है तथा उसके हाल खसरा नंबर 964 का रकबा 0.17 है0 है ं इसी प्रकार चौसाला जमाबंदी में वर्णित खसरा नंबर 341 का रकबा 00–3–10 बीघ्झा है तथा हाल खसरा नंबर 968 का रकबा 0.20 है0 है जो स्वंय वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित किया गया है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य की अनदेखी कर वाद डिक्री करने में त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 में वादीगण द्वारा चौसाला जमाबंदी के अनुसार प्रस्तुत वाद में खसरा नंबर अंकित किए है किन्तु अपूर्ण खसरा नंबर व रकबा का वर्णन किया है तथा चौसाला जमाबंदी में वर्णित खसरा नंबर का वाद प्रस्तुत नहीं किया तथा निम्नलिखित चौसाला जमाबंदी मे ंवर्णित खसरा नंबर 39/1 रकबा 0–8–0, खसरा नंबर 334 रकबा 0–1–10, खसरा नंबर 763 रकबा 1–3–0, खसरा नंबर 885 रकबा 0–10–0, खसरा नंबर 887 रकबा 0–2–10, खसरा नंबर 884 रकबा 0–9–0, खसरा नंबर 849 मिन रकबा 0–4–0, खसरा नंबर 889 मिन रकबा 0–4–0 जहो कुल रकबा 3–2–10 बीघा है तथा चौसाला जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि का रबा 3–'9–00 है अर्थात् कुल भूमि 6–10–00 बीघा है किन्तु वादीगण द्वारा जानबूझकर 6–10–00 भूमि में से स्वंय के नाम होने वाली भूमि 3–2–10 बीघा भूमि का वाद ही प्रस्तुत नहीं किया गया तथा चौसाला जमाबंदी में वर्णित समस्त खसरा नंबर में से कुछ खसरा नंबर का वाद पेश किया जो प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य था ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में अधी0न्यायास0 के समक्ष राजीनामा उक्त आराजियात के संदर्भ में दिनांक 31.12.1986 को मय अधिवक्तागण पेश किया जो राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया गया। उक्त राजीनामे में स्पष्ट रूप से भूमि का वर्णन किया गया कि वादीगण के हिस्से में सूरजपुरा की आराजी खसरा नंबर 39/1, 763, 52, 848, 432/1 एवं मोराझड़ी के हिस्से की खसरा नंबर 1415, 1421, 1763 रहेगी तथा प्रतिवादीगण के हिस्से में खसरा नंबर 39/2, 33, 331, 332, 339, 340, 341, 334, 441, 432/2 भूमि सूरजपुरा की रहेगी किन्तु वादीगण ने स्वंय के हिस्से की भूमि जो उनके नाम है, का वाद ही प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का झूंठा व मनगंढ़त तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि स्वंय वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने राजीनामा प्रस्तुत कर अपने–अपने हक हिस्से का वर्णन किया था तथा उसी अनुरूप अपने–अपने हिस्से पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे है । इतना ही नहीं अधी0न्याया0 में वादीगण की साक्ष्य में राजीनामा होने वाला कथन स्वीकार किया तथा प्रतिवादी की ओर से राजीनामा पर जिस गवाह ने दस्तखत किये, को अधी0न्याया0 में प्रस्तुत किया जिसने भी राजीनामा का कथन किया । अधी0न्याया0 उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर कानूनी तथ्यों की अनदेखी करते हुए वाद डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्व वाद का वादपत्र एवं राजीनामा की

प्रमाणित प्रति प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गई थी तथा वाद पूर्व न्याय से वर्जित होने का भी निवेदन किया था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेजात की छानबीन नहीं की जाकर वादपत्र के अनुसार वाद पत्र डिक्री करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे कथन किया कि अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 प्रदर्श–1 के अनुसार अपीलाधीन भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 का एक हिस्सा, वादीगण संख्या 3 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 का एक हिस्सा, प्रतिवादिया संख्या 3 नोसर का एक में से आधा हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का एक में से आधा हिस्सा दर्ज है । परन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के एवं बिना न्यायालय के आदेश के एवं बिना विक्रय, हस्तातंरण के वर्किंग जमाबंदी में अविधिक तौर पर संपूर्ण भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी जिसका कि भू–प्रबंध अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था । स्वंय प्रतिवादी/अपीलांट इस तथ्य को अपनी जिरह में स्वीकार करते है कि अंतिम चौसाला जमाबंदी में उपरोक्तानुसार हिस्सा दर्ज है । यह भी स्वीकार करते है कि उनके पास वादीगण द्वारा निष्पादित कोई भी पंजीबद्ध दस्तावेजी अपीलाधीन भूमि के संबंध में नहीं है । उक्त राजस्व रिकार्ड से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विद्वान अधी0न्याया0 ने संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित की है। रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि प्रदर्श–ए–1 पूर्व राजस्व वाद संख्या 49/1983 में सात वादीगण लक्ष्मण, श्रवण, हरीराम, छोटी, गोकली, कल्ला व उगमी थे एवं प्रतिवादीगण 12 थे जिसमें अमरा, रामरतन, श्रीमती सोनी, रिद्धकरण, राधा, कस्तुरी, कालू, अमरी, रामेश्वरी, सूरता, किशना एवं राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पक्षकार थे । प्रदर्श–ए–2 राजीनामा मात्र तीन पक्षकारों द्वारा पेश किया गया था । अधी0न्याया0 द्वारा प्रदर्श–ए–2 राजीनामा दिनांक 31.12.1986 पर कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं की गई तथा वाद दिनांक 21.2.1997 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया एवं बंटवारे बाबत् कोई भी अंतिम निर्णय पक्षकारान के मध्य पारित नहीं किया गया है । इस कारण धारा 11 जा0दी0 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है । जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि वादीगण ने परिवार की संपूर्ण आराजियात बाबत् वाद पेश नहीं किया है, के संबंध में कथन किया कि वादीगण को जिस भूमि से ऐतराज था, पीड़ित था उसी आराजियात बाबत् वाद पेश किया गया था । प्रतिवादी यदि अन्य भूमियों बाबत् पीड़ित थे तो इस संबंध में न तो जवाबदावे में इस बाबत् को ऐतराज किया एवं न ही इस संबंध में कोई अलग से काउण्टर क्लेम ही पेश किया। इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 8 ने रेस्पो0 की बहस का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अधी0न्याया0 द्वारा पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर चार तनकियात कायम की गई ।

9. तनकी संख्याः'–1–आया दावाकृत सम्पदा का वर्तमान इंद्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण पूर्व हिस्सेनुसार खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

10. तनकी संख्याः–2– आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?

11. तनकी संख्याः–3– आया वाद धारा 11 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत खारिज योग्य है ?

12. तनकी संख्याः–4– अनुतोष ।

13. तनकी संख्या 1 के अवलोकन के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य चौसाला जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 प्रदर्श–8 एवं प्रदर्श 1 अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 में अपीलाधीन भूमि फूमली पत्नि छीतर एक हिस्सा, रामचंद्र पुत्र हरदेव एक हिस्सा एवं लादू व मादू पि0 सुक्खा एक हिस्सा दर्ज होकर कुल तीन हिस्से दर्ज है। फूमली पत्नि छीतर के वारिस वादी संख्या 1 व 2 है, रामचंद्र पुत्र हरदेव के वारिस वादी संख्या 3 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीया है । लादू व मादू पि0 सुक्खा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का इन कथनों के साथ पेश किया था कि उपरोक्त आराजी प्रदर्श–1 व प्रदर्श–8 चौसाला जमाबंदी के अनुसार उपरोक्त तीन हिस्सेदारों के नाम दर्ज है । मिलान क्षैत्रफल के अनुसार चौसाला खसरा नंबर के वर्किंग खसरा नंबर एवं आधार खसरा नंबर बनना प्रमाणित है । वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श–10 में अपीलाधीन भूमि खाता नंबर 57 में अकेले मादू पुत्र सुक्खा एवं खाता संख्या 82 में लादू पुत्र सुक्खा के नाम भू–प्रबंध विभाग द्वारा दर्ज की गई है । फूमली पत्नि छीतर एवं रामचंद्र पुत्र हरदेव के नाम कोई भी भूमि अथवा हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है । फूमली पत्नि छीतर अथवा रामचंद्र पुत्र हरदेव अथवा इनके वारिसान द्वारा अपीलाधीन भूमि अपीलांटस/प्रतिवादीगण मादू व लादू को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से हस्तातंरित की हो इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रवितादीगण/अपीलांटस द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है एवं न ही जवाबदावे में इस तथ्य का उल्लेख ही किया है । बिना पंजीबद्ध दस्तावेज के किसी की खातेदारी भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है । इस संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का आदेश भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि संपूर्ण अपीलाधीन भूमि प्रतिवादीगण/अपीलांटस के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये हो एवं न ही कोई नामांतकरण अपीलांटस/रेस्पो0 द्वारा पेश किया गया है । भू–प्रबंध विभाग की कार्यवाही के दौरान पूर्व इंद्राज को बदस्तूर वर्तमान अधिकार अभिलेख में दौहराने का अधिकार भू–प्रबंध विभाग है जब तक कि कोई पंजीबद्ध हस्तातंरण विलेख अथवा सक्षम न्यायालय का निर्णय व डिक्री नहीं हो । हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस/प्रतिवादीगण स्वंय स्वीकार करते है कि चौसाला जमाबंदी में उपरोक्तानुसार हिस्से दर्ज थे । उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के एवं बिना किसी पंजीबद्ध दस्तावेज के चौसाला जमाबंदी के इंद्राज को परिवर्तित कर संपूर्ण आराजी अपीलांटस के नाम दर्ज की गई है जो अविधिक होने से त्रुटिपूर्ण इंद्राज प्रमाणित होता है । अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय विधिसम्मत् रूप से वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष में पारित किया गया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः तनकी संख्या 1 रेस्पो0 के पक्ष में एवं अपीलांटस के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

14. तनकी संख्या 2 के संबंध में तनकी संख्या 1 के निर्णयानुसार रेस्पो0/वादीगण अपीलाधीन भूमि के खातेदार होने से अपीलांटस के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार पाये जाते है । अधी0न्याया0 का तनकी संख्या 2 के संबंध में पारित निर्णय विधिसम्मत् पाया जाता है ।

15. तनकी संख्या 3 के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रदर्श–ए–1 पूर्व राजस्व वाद संख्या 49/1983 में सात वादीगण लक्ष्मण,

श्रवण, हरीराम, छोटी, गोकली, कल्ला व उगमी थे एवं प्रतिवादीगण 12 थे जिसमें अमरा, रामरतन, श्रीमती सोनी, रिद्धकरण, राधा, कस्तुरी, कालू, अमरी, रामेश्वरी, सूरता, किशना एवं राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पक्षकार थे । प्रदर्श–ए–2 राजीनामा मात्र तीन पक्षकारों द्वारा पेश किया गया था । अधी0न्याया0 द्वारा प्रदर्श–ए–2 राजीनामा दिनांक 31.12.1986 पर कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं की गई तथा वाद दिनांक 21.2. 1997 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया एवं बंटवारे बाबत् कोई भी अंतिम निर्णय पक्षकारान के मध्य पारित नहीं किया गया है। इस कारण धारा 11 जा0दी0 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है । अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 3 का निर्णय विधिसम्मत् पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है । अतः तनकी संख्या 3 का निर्णय यथावत् रखा जाता है ।

16. तनकी संख्या 4 के संबंध में तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष में निर्णित होने से वादीगण/रेस्पो0 अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है ।

17. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

18. अतः अपील अपीलांटस की खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 6.7.2011 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

19. निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर